

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं  
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.4(1)(310)पोषा/S.H.G./ मबावि/2007/50508-540 जयपुर, दिनांक:

8.6.15

उप निदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त।

विषय:—विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के संबंध में।  
संदर्भ:— विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 09.06.2015


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 09.06.2015 को प्रस्तावित विभागीय समीक्षा बैठक में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा की जावेगी। अतः समस्त उप निदेशक इस संबंध में निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाण पत्र तैयार कर बैठक में अपने साथ लेकर आवें:—

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला ..... के अन्तर्गत संचालित समस्त बाल विकास परियोजनाओं में विभागीय निर्देशानुसार आयुवर्ग 6 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से टेक होम राशन उपलब्ध कराने की विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है। जिले के अन्तर्गत समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है।

उप निदेशक  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
.....

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।



(डॉ. पृथ्वी)  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं,  
राजस्थान जयपुर।  
जयपुर, दिनांक:

क्रमांक:एफ.4(1)(310)पोषा/S.H.G./ मबावि/2007/  
प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. संयुक्त निदेशक (मोनेटरिंग), मुख्यालय।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.एस.मीना)  
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)